

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:-383/2024

निर्णय दिनांक :-10.09.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

तहसीलदार दूनी, जिला टोंक राज0

उपस्थिति :-
तहसीलदार दूनी

- प्रार्थी-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत की धारा 131, 132 एल. आर. एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। तहसीलदार दूनी द्वारा ग्राम सीतापुरा पटवार हल्का सीतापुरा तहसील दूनी के खसरा नम्बर 152 रकबा 15.66 है0 में से राजकोट-सीतापुरा रोड़ जो चालू है, कुल लम्बाई 500 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.30 है0 रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट-‘ए’ एवं अभिशंषा तहसीलदार दूनी द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित ख. नं. सिवायचक बंजड़ होने व अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं होने के कारण तलबी जारी नहीं की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

तहसीलदार दूनी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना कथन किया कि वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर पर किसी भी दीगर व्यक्ति का कब्जा नहीं है और उक्त खसरा नम्बरो में रास्ता बना हुआ है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त खसरा नम्बरो में से रास्ते के रूप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु आदेशित करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार दूनी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। तहसीलदार दूनी ने क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 27.08.24 मौका रिपोर्ट दिनांक 27.08.24, ग्राम पंचायत सीतापुरा द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र, नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी सम्वत 2071-74, खसरा गिरदावरी सम्वत 2080 पेश किये हैं। तहसीलदार बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः वाके ग्राम सीतापुरा पटवार हल्का सीतापुरा तहसील दूनी जमाबन्दी सम्वत 2077 में दर्ज ख. नं. 152 रकबा 15.66 है0 में से 0.30 है0 को नजरी नक्शा ट्रेस अनुसार गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार दूनी आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली